

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर  
क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/एम-133/2024/353 दिनांक : 28/11/24

आदेश

जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण सत्र 2023-24 की पत्रावली क्रमांक एम-133/जीएनएम/2023-24/22406 के पैरा संख्या 255-56 के अनुसरण में सक्षम स्तर से अनुमोदन एवं एक बारीय शिथिलन पश्चात प्रशिक्षण सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से बन्द की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन है।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज.जयपुर

दिनांक : 28/11/24

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/एम-133/2024/353

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, बी-39, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
5. अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय संघ, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर, भरतपुर, सीकर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, पाली, जालौर, बाड़मेर, बासवाड़ा।
7. संयुक्त निदेशक (एसीपी) राज. कोम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, योजना भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 से संबंधित सम्पूर्ण डाटा मय सॉफ्ट एवं हार्डकॉपी एवं उक्त सत्र में चयनित अभ्यर्थी तथा चयन से वंचित रहे अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक सूची हार्डकॉपी में शीघ्र ही उपलब्ध कराने का श्रम करे।
8. प्रधानाचार्य समस्त निजी नर्सिंग स्कूल्स, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेज कर लेख है कि उपरोक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023-24 में अपलोड करने का श्रम करे।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज.जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date : 27-11-2024 02:13:03